[26/2/2026]

5/3/004/2026-NON-GAZ-MPDHS. 87452/2026

प्रश्न सं. [क्र. 396]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 396 के उत्तरांश (क) का परिशिष्ट "अ"

माननीय विधायक महोदय श्री लखन घनघोरिया

प्रश्न दिनांक 18-2-2026-26-2-2026

संचालनालय, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
जयप्रकाश चिकित्सालय परिसर, भोपाल,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिका./सेल-4/व्ही.सी./2026/285 भोपाल, दिनांक 05/02/2026

प्रति,

निशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, (एन.एच.एम.)
भोपाल, मध्यप्रदेश।

विषय:- शिकायत क्रमांक 435/ई/2025 वि- श्री विजय पाण्डे जिला डाटा प्रबंधक एवं अधिकारीगण कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर के संबंध में।

संदर्भ:- अवर सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 107/0050/2026/17/मेडि-1 दिनांक 21.01.2026 एवं लोकायुक्त कार्यालय के पत्र 7201/प्र.क्र.435/ई/ दिनांक 26.12.2025 ।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र एवं सहपत्रों का कृपया अवलोकन हो। प्रकरण क्रमांक 435/ई/2025 वि- श्री विजय पाण्डे जिला डाटा प्रबंधक एवं अधिकारीगण कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जॉच कर जॉच प्रतिवेदन दिनांक 20.02.2026 तक लोकायुक्त कार्यालय द्वारा चाहा गया है। शिकायत फर्जी निरीक्षण यात्राओं में फर्जी किराया बिलों के भुगतान में राशि रूपये 13,24,243/- का फर्जीवाडा भ्रष्टाचार की जॉच के संबंध में प्राप्त हुआ है। (प्रति संलग्न)

अतः अनुरोध है कि शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं की जॉच कर जॉच प्रतिवेदन दिनांक 20.02.2026 के पूर्व उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जॉच प्रतिवेदन लोकायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जा सकें।

संलग्नः-कुल 66 पृष्ठ
संचालक, लो स्वा. एवं चिकि शिक्षा
विभाग द्वारा अनुमोदित।

वरिष्ठ संयुक्त संचालक (शिका.)
संचालनालय लो.स्वा.एवं चि.कि. शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/ शिका./सेल-4/व्ही.सी./2026/286 भोपाल, दिनांक 05/02/2026

1. श्री सुरेश सिंह विधि सलाहकार-4 लोकायुक्त कार्यालय भोपाल मध्यप्रदेश की ओर पत्र 7201/प्र.क्र.435/ई/ दिनांक 26.12.2025 के परिपेक्ष्य में प्रेषित।
2. अवर सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 107/0050/2026/17/मेडि-1 दिनांक 21.01.2026 के परिपेक्ष्य में प्रेषित।

Digitally signed by
Raju Nidariya
Date: 04-02-2026
15:25:05

वरिष्ठ संयुक्त संचालक (शिका.)
संचालनालय लो.स्वा.एवं चि.कि.शिक्षा
मध्यप्रदेश

डॉ. विजय मोहरे
उप संचालक (शिकायत)
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 396 के उत्तरांश (ख) का परिशिष्ट "ब"

माननीय विधायक महोदय - श्री लखन घनघोरिया

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

जुलाई-अगस्त,2025

प्रश्न दिनांक 18-2-2026-26-2-2026

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **28/07/2025**

वर्ग : 3 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **06/08/2025** विभाग का नाम : **परिवहन**

विषय : **टेक्सी/एम्बूलेंस परमिट पर पंजीकृत वाहन।**

(**अतारांकित** प्रश्न क्रमांक : **2068**) **श्रीनारायण सिंह पट्टा**

क्या **परिवहन मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क)कार्यालय क्षेत्रीयपरिवहनअधिकारी जबलपुर में मे. मिश्राट्रेवल्स शाप नं.10 बसस्टेंड जबलपुर प्रो.सुनील मिश्रा के टेक्सी/एम्बूलेंस परमिट पर कौन-कौन से वाहन पंजीकृत हैं?वाहन का पंजीयन क्रमांक दिनांक मॉडल प्रकार सीट संख्या सहित सूची दें। (ख) निम्नांकित वाहन किस-किस के नाम से टेक्सी परमिट अथवा अन्य किस परमिट पर पंजीकृत हैं–(1)एमपी20टीए9811, (2)एमपी20टीए3330, (3)एमपी20टीए9911, (4)एमपी20टीए9839, (5)एमपी20टीए1644, (6)एमपी20टीए1870, (7)एमपी20टीए 1477, (8)एमपी 20 टी ए 2083, (9) एमपी 20 सी ई 6822, (10) एमपी 20 सी जे 2066, इनका मॉडल प्रकार सीट संख्या सहित जानकारी दें। (ग) मे. मिश्रा ट्रेवल्स प्रो. सुनील मिश्रा के टेक्सी/एम्बूलेंस परमिट पर पंजीकृत कौन-कौन से वाहन कब से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर में किन शर्तों पर अनुबंधित किराये पर चल रहे हैं ? इन वाहनों से कराधान की किस दर से कितनी-कितनी राशि वसूल की गई है? अनुबंधित वाहनों की सूची सहित वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक की जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (क) में किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब आकस्मिक जांच में कौन-कौन से वाहन अवैध रूप से अपने नाम से टेक्सी परमिट पर संचालित पाये गये हैं? इन वाहनों से मोटर यान कराधान के तहत कराधान की कितनी राशि की चोरी पकडी गई है? इस पर कब क्या कार्यवाही की गई है? वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की जानकारी दें?

परिवहन मंत्री(श्री उदय प्रताप सिंह):

(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स", "द" एवं "ई" अनुसार** है। (घ) प्रभारी विशेष जांच दल में पदस्थ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर की गयी कार्यवाही के दौरान प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अवैध रूप से संचालित होते पाये गये वाहनों की जानकारी निरंक है जिससे इन वाहनों से मोटरयान कराधान के तहत कराधान की राशि की चोरी के संबंध में जानकारी निरंक है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'फ' अनुसार** है।

डॉ. विजय मोहरे
उप संचालक (शिकायत)
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश